(3)

राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 14/2021 अपील

1. गोपाल मीणा पुत्र माधु मीणा निवासी डांग का बाडा पटवार हल्का पिपलून्द तहसील जहाजपुर 2. राजेश मीणा पिता गोपाल मीणा निवासी डांग का बाडा पटवार हल्का पीपलून्द तहसीलदार जहाजपुर –अपीलार्थी	बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री दिलीप पाराशर अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश चन्द्र तिवाड़ी राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 20-4-.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पास आराजी नम्बर 11/2 रकबा 6.10 बीघा भूमि पर पिछले 40 वर्षो से कब्जा चला आ रहा हैं और काश्त कर रहा हैं तथा उक्त आराजी को आबाद करने में काफी लागत व खर्चा अपीलार्थी द्वारा किया गया है। इस संबंध में तहसीलदार जहाजपुर द्वारा समय समय पर अपीलाण्ट के खिलाफ धारा 91 रा.का.अधि. की कार्यवाही की गयी और अपीलाण्ट से पेनल्टी जमा की गयी। वर्तमान में कब्जा अपीलाण्ट का है। अपीलाण्ट के पास अपने खुद की कोई जमीन नही हैं। अपीलाण्ट का परिवार इस आराजी से ही पलता हैं। इस कारण आराजियात जैर बहस अपीलाण्ट को बेदखल नही किया जा सकता हैं। लेकिन पटवार हल्का व गिरदावर व सरपंच पीपलुन्द द्वारा अवैध तरीके से अपीलाण्ट को बेदखल करने पर आमाद हो रहे हैं। निवेदन हैं कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर आराजी नम्बर 11/2 रकबा 6.10 बीघा ग्राम पीपलुन्द से अपीलाण्ट को बेदखल नही किया जावे तथा उपयोग उपभोग में बाधा नहीं पहुंचाये व नियमित किये जाने व आवंटन किये जाने के आदेश दिलाया जाये।

प्रस्तुत अपील प्रकरण न्यायालय में दिनांक 08.04.2021 को दर्ज किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर आराजी नम्बर 11/2 रकबा 6.10 बीघा ग्राम पीपलुन्द से अपीलाण्ट को बेदखल नही किया जावे तथा उपयोग उपभोग में बाधा नहीं पहुंचाये व नियमित किये जाने व

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

(4)

आवंटन किये जाने के आदेश दिलाया जाये।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार जहाजपुर ने ग्राम पीपलुन्द पटवार हल्का पीपलुन्द की आराजी नं. 11/2 रकबा 5.00 बीघा पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिचार किये जाने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया जो सही एवं विधिनुकुल हैं। अपीलाण्ट द्वारा इससे पूर्व भी उक्त आराजी पर अतिक्रमण करता रहा है। जिससे अपीलाण्ट का उक्त कृत्य पश्चातवर्ती अतिक्रमी के अंतर्गत आता हैं। अतः तहसीलदार जहाजपुर द्वारा अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने के लिए धारा 91 का जो नोटिस जारी किया गया वह सही हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि तहसीलदार जहाजपुर ने ग्राम पीपलुन्द की आराजी नं. 11/2 रकबा 5.00 बीघा भूमि किस्म चरागाह पर अतिक्रमण करने से अपीलाण्ट/अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का जो नोटिस जारी किया गया, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20-4-.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)